2 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्र. /2015
Rev- 3336-PBR/15

1. विनय राजपाल पु.त्र श्री अमरलाल राजपाल
2. रवि राजपाल पुत्र श्री मोतीलाल राजपाल निवासीगण यादव कालोनी नाका चन्द्रबदनी लश्कर ग्वालियर म.प्र.।

——————आवेदकगण

दिनांक 13-10-15 को श्री विनोद कुमार अभि० द्वारा प्रस्तुत।
13-10-15

विरूद्ध

1. लखनलाल पुत्र श्री कैलाश नारायण निवासी रोशनीघर लश्कर ग्वालियर
2. जोसफ पिन्टू प्रकाश प्रकाश पुत्र श्री नोवर्ट प्रकाश निवसी चर्च गेट के पास फालका बाजार लश्कर ग्वालियर म.प्र.

——————अनावेदक

मनोज भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
13-10-2015

माननीय अयक्ष महोदय द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्र. 1347–i/2004 में पारित आदेश दिनांक 11–08–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुर्नविलोकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 3336–पीबीआर/2015 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11–8–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गयी है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	